न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(चिन्मयी गोपाल आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 268/2011
प्रविष्टि दिनांक 20–9–2011

1–मनफूल पत्नि घीसालाल जाति जाट निवासी डारडाहिन्द हाल, 8 जयकिशन कालोनी टोंक फाटक जयपुर जिला–जयपुर राज0

.... प्रार्थीया

बनाम

1–सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक
2–परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।
3–तहसीलदार टोंक जिला–टोंक

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित (1) श्री बसंन्त कुमार जैन,अभिभाषक प्रार्थीगण
(2) श्री अभिषेक श्री दीपक शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2

निर्णय

दिनांक 10–11–2021

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे ग्राम उस्मानपुरा तहसील टोंक की भूमि ख0नं0 16/2 व 16/3 में 4400 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा माल–2 का निर्धारण किया गया है। प्रार्थी ने भूमि एन0एच–12 पर स्थित व्यवसायिक महत्व की भूमि होना एंव एंव भूमि के पास कई व्यवसायिक परिसर, संत सुधासागर स्कूल आदि स्थित होने से मुआवजा वर्षमान डीएलसी दर से कम दिया जाना व उसकी वास्तविक उपयोगिता एंव वर्तमान बाजार कीमत के अनुसार राशि का निर्धारण करवाया जाकर मुआवजा राशि दिलवाये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली 980/2009 दिनांक 8–7–2010 तलब की ग[illegible]भाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अप्रार्थी संख्या 2 के [illegible]भाषक ने जव[illegible] प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्य[illegible] के [illegible] प्रार्थीगण की भूमि [illegible] 16/2 व 16/3 में 4400 वर्गमीटर ग्राम उस्मानपुरा वीरा[illegible] अवाप्त की गई है [illegible]त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:51:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

आर्बिट्रेटर N.H.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी होने के पश्चात प्रार्थी को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, परन्तु प्रार्थी द्वारा कोंई आपत्ति प्रस्तुत नही की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। प्रार्थी को नोटिस जारी किया गया था,परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकंलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मै0 अजीत सर्वे एण्ड कन्सल्टेंटस प्रा0 लि0 जयपुर से सम्पत्ति का मूल्यांकन व सर्वे करवाया जाकर मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म माल–2 राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्मपूण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने अभिभाषक प्रार्थीया व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या– 2 की बहस सुनी। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब व लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा अवार्ड 980/2009 दिनांक 8–7–2010 से ग्राम उस्मानपुरा वीरान में स्थित प्रार्थी की भूमि ख0नं0 16/2,16/3 में अवाप्त रकबा 4400 वर्गमीटर किस्म माल–2 का डी.एल.सी. दर से अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है। प्रार्थीया अवाप्तशुदा भूमि के पास व्यवसायिक दुकानें होने व स्कूल संचालित होने से वर्तमान डी0एल0सी0 दर से व्यवसायिक भूमि बताकर मुआवजे का भुगतान चाहता है, किन्तु उनके द्वारा भूमि के व्यवसयिक होने के संबंध मे संपरिर्वतन आदेश तथा अन्य साक्ष्य–सबूत पेश नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनाक 9–12–2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
आरबीट्रेटर एन.एच.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक

आर्बिट्रेटर N.H.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:51:39 IST
Reason: SelfAttested